<u>कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद।</u>

<u>दिनॉक 03.06.2020</u>

<u>आदेश</u>
<u>(संख्या :– 215 /2020)</u>

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 1117/LXXXVII-CPC/e-Court Allahabad Dated 03-06-2020 के अनुपालन में दिनॉक 08.06.2020 से जनपद न्यायालय गाजियाबाद के सभी न्यायालयो में उक्त वर्णित पत्र में दिये गये निर्देशो के अधीन न्यायिक कार्य सम्पादित किये जाने हेतु न्यायालयो को खोले जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

सभी न्यायालयो द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 484/इन्फ्रा. सेल इलाहाबाद दिनॉकित 30 मई 2020 में दिये गये वादो को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई हेतु कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

अण्डर ट्रायल बन्दियो का रिमाण्ड सम्बन्धित कार्य विडियो कान्फ्रेन्सिंग अथवा JITSI साफटवेयर के माध्यम से सम्पादित किया जायेगा।

नये वाद/प्रार्थना पत्र केन्द्रीयकृत कम्पयूटर कक्ष में प्राप्त किये जायेगें। प्रार्थना पत्रो पर विद्वान अधिवक्ता का पूर्ण विवरण मय मोबाइल नम्बर अंकित होगा जिससे कोई कमी होने पर सम्बन्धित अधिवक्ता को सूचित किया जा सके।

जनपद न्यायालय की ई–मेल पर भी जमानत प्रार्थना पत्र/अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र व लिखित बहस वैकल्पिक आधार पर प्रेषित किये जा सकते है।

सभी न्यायालय कक्षो में 4 कुर्सिया पर्याप्त दूरी पर इस प्रकार से रखी जाये जिससे कि उचित सोशल डिस्टेंन्सिग कायम रखी जा सके। न्यायालय कक्ष में सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करना होगा तथा न्यायालय कक्ष के मुख्य गेट पर सेनीटाइजर का प्रबन्ध किया जायेगा। न्यायालय के रीडर व लिपिक आदि कर्मचारीगण भी सोशल डिस्टेंन्सिग गाइडलाइन्स का पालन करेगें।

न्यायालयो के पीठासीन अधिकारी पक्षकार/विद्वान अधिवक्तागण की एक समय में न्यायालय कक्षों में कम से कम उपस्थिति के लिए समुचित व्यवस्था करना सुनिश्चित करेगें तथा आवश्यकता पडने पर न्यायालय कक्ष में अतिरिक्त व्यक्तियो का प्रवेश बन्द कर सकते है जिससे सोशल डिस्टेंन्सिग का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

समस्त न्यायालयो के पीठासीन अधिकारीगण समय–2 पर माननीय उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश शासन व केन्द्रीय सरकार द्वारा कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए दिये गये निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करेगें।

अतः दिनॉक 08.06.2020 से जनपद न्यायालय गाजियाबाद के सभी न्यायालय व कार्यालय खोले जायेगें, इसलिए जनपद न्यायालय में कार्यरत सभी न्यायिक अधिकारीगण व तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण अपने–2 न्यायालय व कार्यालय में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अपना–2 कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करे।

सभी सम्बन्धित सूचित हो। जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड भी की जाये

03.6.2020

जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।
District Judge
Ghaziabad